अति महत्वपूर्ण

संख्या–1811/1–10–2017–12(34)/03टी0सी0–1

प्रेषक,

राजीव कुमार,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

2– समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग–10 लखनऊः दिनॉक :28 नवम्बर, 2017

विषयः–वर्ष 2017–18 में अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों के बचाव हेतु क्रय किये जाने वाले कम्बलों की गुणवत्ता एवं उनके वितरण और राहत कार्यो का संचालन किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अवगत कराना है कि प्रदेश में वर्ष 2017–18 में अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत पहुँचाने हेतु कम्बल आदि क्रय किये जाने तथा अलाव जलाने के लिए प्रदेश के समस्त जनपदों को शासनादेश संख्या–1651/1–10–2017–12(34)/03टी0सी0–1 दिनांक 16 नवम्बर, 2017 से धनराशि स्वीकृत करते हुए विस्तृत दिशा–निर्देश दिये गये है।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पहाड़ों पर हिमपात होने के फलस्वरुप प्रदेश में अत्यधिक ठण्ड के साथ–साथ शीतलहरी/कोहरा का प्रकोप प्रारम्भ हो गया है। अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी से सामान्य जन, विशेषकर निराश्रित, असहाय एवं कमजोर वर्ग के लोगों को बचाया जाना तथा त्वरित राहत प्रदान करना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अतः इस सम्बन्ध में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायः–

(1)– प्रदेश में अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी से बचाव हेतु नगर पंचायत, नगर पालिका एवं नगर निगम, ग्रामीण क्षेत्रों के सार्वजनिक स्थलों पर आवश्यकतानुसार अलाव जलाने एवं निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को चिन्हांकित करते हुए निःशुल्क कम्बल आदि के वितरण की कार्यवाही समय से सुनिश्चित की जाय। यह भी सुनिश्चित किया जाय कि अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी के कारण किसी की मृत्यु, भोजन, वस्त्र, आश्रय एवं चिकित्सा के अभाव में किसी भी दशा में न हो।

(2)– शीतलहरी के फलस्वरुप किसी भी अप्रिय घटना होने पर जनपद के जिलाधिकारी सीधे रुप से उत्तरदायी होंगे तथा ऐसी घटना की जॉच न्यूनतम ए0डी0एम0 स्तर के अधिकारी से करायी जाय तथा इसकी आख्या राहत आयुक्त कार्यालय को उसी तिथि में ई–मेल तथा फैक्स के माध्यम से प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराई जाय।

(3)– क्रय किये जाने वाले कम्बलों की मानक के अनुसार शत–प्रतिशत गुणवत्ता अवश्य सुनिश्चित की जाय तथा लाभार्थियों को कम्बल वितरण के सम्बन्ध में पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुये प्रतिदिन कम्बल वितरण की सूचना (पूर्ण विवरण के साथ) स्थानीय समाचार पत्रों तथा मीडिया में भी दी जाय।

(4)– जनपदों में जनप्रतिनिधियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से रात्रि में पात्र लोगों को कम्बल वितरित कराया जाय तथा जनमानस से निरन्तर सम्पर्क बनाए रखने हेतु जनपद के अधिकारी अपने क्षेत्र में योजनाबद्ध तरीके से भ्रमण करेंगे।

(5)– जनपद की सीमा के अन्तर्गत मुख्य मार्गों एवं विशेषकर दुर्घटना बहुल्य क्षेत्रों में, सफेद थर्मोप्लास्टिक पेन्ट द्वारा पट्टियों को दर्शाने, रिफलेक्टर, सोलरकैट साईन एवं डेलिवेटर लागये जाने का कार्य अवश्य पूर्ण कर लिया जाय तथा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कृषि कार्यो में उपयोग में आने वाली ट्रैक्टर ट्रालियों के पीछे रेडियम की पीली पट्टी अभियान चालाकर लगवायी जाये, जिससे कि कोहरे के कारण होने वाली दुर्घटनाओं पर नियंत्रण किया जा सके।

(6)– नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत आदि द्वारा निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों के ठण्ड से बचाव के लिए अपने क्षेत्र में रैन बसेरे, शेल्टर होम आदि की स्थापना की जाती है। इन रैन बसेरों, शेल्टर होम में रूकने वाले कमजोर वर्ग के लोगों के ठण्ड से बचने के लिए आवश्यक समस्त निःशुल्क उपाय जैसे कि गद्दे, कम्बल, स्वच्छ पेयजल, शौचालय एवं किचन आदि का प्रबन्ध किया जायें तथा इन रैन बसेरों के आस–पास अलाव जलाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। समस्त शेल्टर होम पर व्यवस्थापक का नाम, मोबाइल नम्बर आवश्य दर्शाया जाये तथा रात्रि में जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा औचक निरीक्षण आवश्य किया जाय।

(7)– जनपदों में सार्वजनिक चिन्हित स्थानों पर जलाये जाने वाले अलाव का स्थलीय निरीक्षण करने के साथ ही उन स्थलों का व्यापक प्रचार–प्रसार भी किया जाय तथा स्थानीय समाचार पत्रों तथा मीडिया में भी इससे सम्बन्धित सूचनायें प्रसारित करायी जाय ताकि शासन द्वारा जन सामान्य को ठण्ड से बचाव हेतु किये जा रहे व्यापक उपायों की जानकारी हो सके।

(8)– उपरोक्त मदों में आवंटित धनराशि का पूर्ण सदुपयोग होने के पश्चात् यदि अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता पड़ती है तो स्वीकृत धनराशि के उपभोग के पूर्ण विवरण सहित अपेक्षित धनराशि का समुचित प्रस्ताव शासन को तत्काल उपलब्ध कराया जाय।

(9)– शासन द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में राहत कार्यों के कियान्वयन सम्बन्धी सूचना/विवरण (कम्बलों का वितरण एवं अलाव जलाये जाने की स्थिति) राहत आयुक्त कार्यालय के ईमेल–rahat@nic.in फैक्स नं0–0522–2238084, 2236305 पर प्रत्येक सोमवार सायं 04.00 बजे तक अवश्य उपलब्ध करायी जाय।

3– कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजीव कुमार)
मुख्य सचिव।